दैनिक भास्कर
बिलासपुर 05-09-2025

जैकेट व पेज 1 के शेष

जिला अध्यक्ष गरियाबंद • संतोष चंदेले, जिला अध्यक्ष महासमुंद • दिनेश खरकवाल, बालोद प्रदेश सलाहकार • डॉ. आलोक शर्मा, दुर्ग जिला अध्यक्ष • श्याम मोहन दुबे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर • डॉ. कार्तिक बघेल, जांजगीर कार्यकारिणी • वैभव डियोडिया, जिला सचिव रायगढ़ • शकुंतला एक्का, जिला अध्यक्ष रायगढ़।

हाई कोर्ट ने कहा- ...

प्रदेश के मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, असिस्टेंट ग्रेड-1 समेत अन्य पदों पर कार्यरत कई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं, इसमें सचिवालय सेवा भर्ती नियम 2012 में किए गए संशोधन को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि सेवा के अंतिम चरण में नियम बदलना अनुचित है। वे लंबे समय से फीडर पद पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग तो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क था कि यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। साथ ही राज्य सरकार ने अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता पर कोई ठोस कारण नहीं बताया।

सरकार ने कहा- पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार नहीं: राज्य सरकार ने दलील दी कि पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार नहीं, बल्कि केवल विचार किए जाने का अवसर है। उच्च पदों के लिए बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए स्नातक डिग्री जैसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। सरकार ने कहा कि नियमों में संशोधन करना उसका विशेषाधिकार है।

हाई कोर्ट बोला- नियम असंवैधानिक नहीं : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत कठिनाई से कोई कानून असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।